

विधान सभा प्रश्न क्रमांक—24 अतारांकित के प्रश्नांश—“घ” की जानकारी

पत्र क्र. 2112 दिनांक 27.7.16 पर की गई कार्यवाही

अरनियापीथा मण्डी प्रांगण में निम्न कार्य स्वीकृत हो चुके हैं :-

क्र.	कार्य का नाम	राशि (रु. लाख में)
1	सीमेन्ट कांकीट पेवमेन्ट (एल.टी. भवन के पास),	131.25
2	द्राली भोड चौड़ीकरण कार्य (तिलहन झोन)	18.80
3	प्रस्तावित व्यापारिक गोदामों के स्थल का समतलीकरण कार्य ।	69.42
4	कव्हर्ड आक्शन प्लेटफार्म निर्माण कार्य दलहन झोन एवं तिलहन झोन कुल 03 नग ।	272.50
5	आर.सी.सी. ड्रेनेज निर्माण ।	64.27
6	डामरिकरण नवीनीकरण कार्य ।	130.00
7	शेष बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य ।	165.00

उक्त सातों कार्यों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति उपरांत निविदा प्रक्रिया की जाकर ठेकेदारों से अनुबंध का निष्पादन किया जाकर कार्यादेश क्रं. कमश: 3965, 3977, 3983 दिनांक 02.02.17 से जारी किया गया है ।

उपमण्डी पिपलोदा में स्वीकृत कार्य :-

क्रमांक	कार्य का नाम	राशि (रु. लाख में)
1	कव्हर्ड आक्शन प्लेटफार्म निर्माण कार्य ।	34.00
2	सीमेन्ट कांकीट पेवमेन्ट कार्य ।	61.28


उक्त दोनो कार्यों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति उपरांत निविदा प्रक्रिया की जाकर ठेकेदारों से अनुबंध का निष्पादन किया जाकर उक्त कार्यों के कार्यादेश क्रं. 3971 दिनांक 02.02.17 से जारी किया गया है ।

-2-

खाचरोद नाका फल-फूल एवं सब्जी मण्डी को अधोसंरचना विकास निधि से अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है, कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-


क्रमांक	कार्य का नाम	राशि (रु.लाख में)
1	आर.सी.सी. कवर्ड आक्शन प्लेटफार्म	199.20
2	सीमेन्ट कांकीट कार्य ।	140.00
3	डामरीकरण नवीनीकरण कार्य ।	48.00
4	एप्रोच रोड खिड़की दरवाजे से मण्डी प्रांगण तक ।	50.00
5	आर.सी.सी. सरफेस ड्रेनेज का कार्य ।	8.75
	कुल -	445.95

उक्त कार्य अधोसंरचना विकास निधि से फल एवं सब्जी मण्डी प्रांगण हेतु प्रस्तावित है, जिसकी डी0पी0आर0 विभाग द्वारा नियुक्त कन्सलटेंट द्वारा राशि रु.10.03 करोड़ की प्रस्तुत की गई है, जिसकी स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है।

  
मुख्य अभियन्ता

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

परिशिष्ट "अ" पृष्ठ ① व ② तक

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्य प्रदेश सरकार,  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल